भारत में घट रही है अनाज उत्पादकता : वर्ल्ड एटलस ऑफ डेज़र्टीफकिेशन रपिोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूरोपीय कमीशन के ज्वांइट रसिर्च सेंटर की 'वर्ल्ड एटलस ऑफ डेजर्टीफकिेशन' (World Atlas of Desertification) नामक रपिोर्ट में पर्यावरण के प्रभावों के संबंध में आँकड़े प्रस्तुत कयि गए हैं। इन आँकड़ों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में दुनयि में भोजन की समस्या ज़ोर पकड़ने वाली है। इस रपिोर्ट में जो सबसे चतिाजनक पहलू उजागर कयि गया है वह यह कि भारत, चीन और उप-सहारा के अफ्रीकी देशों में स्थति सिबसे गंभीर होने वाली है।

इस समस्या का मूल कारण

- इस रपिोर्ट के अनुसार, जलवायु परविर्तन के चलते प्रदूषण, भू-क्षरण और सूखे जैसी समस्याओं ने जहाँ पृथ्वी के तीन-चौथाई भूमि क्षेत्र की गुणवत्ता को नष्ट कर दयि है, वहीं दूसरी ओर, इसका परणिाम भोजन की कमी के रूप में नज़र आ रहा है।
- यदि क्षति की यही दर चलती रही तो सदी के मध्य तक इस आँकड़े में और भी अधकि वृद्धि हो जाएगी जो कि एक बेहद चतिनीय मुद्दा है।
- स्पष्ट है कि यदि इसी गति से भूमि की गुणवत्ता में ह्रास होता गया तो कृषि पैदावार के साथ-साथ जल जैसे दूसरे महत्त्वपूर्ण आवश्यक संसाधनों में भी उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है।

वनों का कटाव और बढ़ता शहरीकरण : अन्य उत्तरदायी कारक

- इसके साथ-साथ वनों के कटाव और बढ़ते शहरीकरण को भी अन्य महत्त्वपूर्ण कारकों के रूप में चह्निति कयि गया है।
- इस भयावह स्थति से बचने के लयि मृदा संरक्षण, सतत् भूमि और जल के सीमति उपयोग जैसी नीतयिों एवं उपायों को कृषि, वन और जलवायु परविर्तन के क्षेत्र में भी लागू करना होगा ताकि भावी पीढ़ी के लयि पर्यवारण को सुरक्षति रखने के साथ-साथ सभी के लयि भोजन के सतत् वकिास लक्ष्यों को हासलि कयि जा सके।

2030 तक भू-क्षरण प्रक्रयिा को थामना है बेहद ज़रुरी

- इस मुद्दे के परप्रिेक्ष्य में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परविर्तन मंत्रालय द्वारा भी एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में भूमि और उसके संसाधनों के संरक्षण एवं वकिास की अहमयित पर वशिेष बल दयि गया है।
- इसके अनुसार, मानव स्वास्थ्य प्रर प्रतकिूल प्रभाव डाले बनि 2030 तक भूमि क्षरण प्रक्रयिा को थामे रखना बेहद ज़रूरी है।

भारत के परपिेक्ष्य में बात करें तो

- भारत में भूमि क्षरण का दायरा 96.40 मलियिन हेक्टेयर है जो कि देश के कुल भौगोलकि क्षेत्र का 29.30 प्रतशित है। देश में प्रति मनिट 23 हेक्टेयर शुष्क भूमि सूखा और मरुस्थलीकरण की चपेट में आ जाती है जसिकी वज़ह से 20 मलियिन टन अनाज का संभावति उत्पादन प्रभावति होता है।
- देश का 70 प्रतशित भौगोलकि क्षेत्र शुष्क भूमि के रूप में है, जबकि 30 प्रतशित ज़मीन भू-क्षरण और 25 प्रतशित भूमि मरुस्थलीकरण की प्रक्रयिा से गुज़रती है। यही कारण है कि पूरी दुनयि में प्रतविर्ष करीब 24 अरब टन उपजाऊ मट्टिी और 27 हज़ार जैव प्रजातयिाँ नष्ट हो जाती हैं।
- जहाँ तक बात है शुष्क क्षेत्रों की तो दुनयि की करीब 30 प्रतशित आबादी शुष्क क्षेत्रों में रहती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषति 21 वशि्व धरोहर स्थलों में से 8 शुष्क क्षेत्रों में हैं।

जहाँ तक बात है सुधारों की तो

- भू-क्षरण रोकने के लयि अन्य देशों द्वारा कयि गए उपायों की सराहना करते हुए मंत्रालय द्वारा इस संदर्भ में बुरकनिा फासो के साहेल एकीकृत समतल भूमि पारस्थितिकिी प्रबंधन तथा भू-क्षरण और सूखे से नपिटने में चीन की ओर से उसके अपने क्षेत्र में कयि जा रहे प्रयासों का भी जक्रि कयि गया।
- भारत के संदर्भ में बात करें तो उत्तराखंड में आजीवकिा का स्तर सुधारने के लयि भूमि, जल और जैव ववििधिता के संरक्षण और प्रबंधन संबंधी उपाय कयि जा रहे हैं।
- भूमि और पारस्थितिकिी प्रबंधन क्षेत्र में नवाचार के ज़रयि टकिाऊ ग्रामीण आजीवकिा सुरक्षा हासलि करने के भी प्रयास कयि जा रहे हैं।
- भूमि क्षरण दुनयि के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है। भारत के लयि अच्छी खबर यह है कि इस समस्या से प्रभावी तरीके से नपिटा जा रहा है।

यूएनसीसीडी के तहत चार दिवसीय एशिया प्रशांत कार्यशाला

- विदित हो कि अप्रैल माह में मरुस्थलीकरण की समस्या से निबिटने के लिये संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन (यूएनसीसीडी) के तहत चार दिवसीय एशिया प्रशांत कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- भारत में संपन्न यह क्षेत्रीय कार्यशाला दुनिया भर में आयोजित यूएनसीसीडी कार्यशालाओं की शृंखला में चौथी है। इस चार दिवसीय कार्यशाला में (24-27 अप्रैल, 2018) एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लगभग 40 प्रतिनिधि देशों ने भाग लिया था।
- मरुस्थलीकरण पर 1977 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पहली बार उपजाऊ भूमि के मरुस्थल में तब्दील होने की समस्या से निपिटने के उपायों पर चर्चा की गई थी। इसके बाद 17 जून, 1994 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इसके लिये बाकायदा एक वैश्विक संधि तैयार की गई जिसे दिसंबर 1996 में लागू किया गया।
- भारत 14 अक्तूबर, 1994 को इस संधि में शामिल हुआ और 17 दिसंबर, 1996 को उसने इसकी पुष्टि की। भारत के संदर्भ में संधि से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने की प्रमुख ज़िम्मेदारी पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय की है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/grain-productivity-in-india-report-of-the-world-atlas-of-desertification